कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर (जिला–ऊधम सिंह नगर)

02 जनवरी, 2023 ई0

पत्रांक 1038/स्वा0अनु0 / 2022–23–

नगर निगम, रूद्रपुर-ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन अधिनियम-2022

नगर निगम अधिनियम की धारा 541(1)(42) एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 ,8 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के नियम 15(ङ) एवं 15(च) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा बनाए गए निम्नलिखित ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए उपविधियों को अपने क्षेत्राधिकार में नगर निगम बोर्ड में प्रस्ताव सं0 09 के माध्यम से रखा गया एवं आपत्ति एवं सुझाव हेतु विशेष संकल्प से पारित हुआ।

अध्याय-1

सामान्य

1. संक्षित नाम और प्रारम्भः-

(i) ये उप-नियम "नगर निगम, रूद्रपुर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2022" कहलाएंगे।

(ii) ये उप-नियम सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(iii) नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2009, गजट नोटिफिकेशन 25 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रख्यापित उपविधि नगर निगम, रूद्रपुर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उप-नियम, 2022 लागू होने की तिथि से स्वतः समाप्त हो जायेगी। इस उपविधि के प्रवृत्त होने तक नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि 2015 द्वारा प्रख्यापित नियम, उपनियम ही प्रभावी रहेगें।

2. **लागू होनाः-** ये उप-नियम नगर निगम, रूद्रपुर की सीमाओं के भीतर लागू होंगे, तथा सीमा में विस्तार होने की दशा में स्वतः ही सम्मिलित क्षेत्र में सम्मिलित होने की दिनांक से लागू हो जायेंगे।

3. **परिभाषाएंः-**(1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन उप नियमों में निम्नाकित परिभाषाएं लागू हैं:-

(क) **"बल्क उद्यान और बागवानी अपशिष्ट"** का अर्थ है उद्यानों, बागों आदि से उत्सर्जित बल्क अपशिष्ट, जिसमे घास कतरन, खर-पतवार, कार्बनयुक्त काष्ठ ब्राउन सामग्री जैसे पेड़ों की छंटाई से उत्पन्न अपशिष्ट, पेड़ों की कटिंग, टहनियाँ, लकड़ी की कतरन, भूंसा, सूखी पत्तियाँ, पेड़ों की छंटाई आदि से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट, जो दैनिक जैव अपघटीय अपशिष्ट के संकलन में समायोजित नहीं किया जा सकता है।

(ख) **"बल्क अपशिष्ट उत्सर्जक"** का अर्थ है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 (जिसे बाद में यहाँ एस.डब्ल्यू.एम. नियम कहा जाएगा) के नियम 3(1) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क अपशिष्ट उत्सर्जक और सम्बद्ध वार्ड कार्यालय के सहायक आयुक्त या उससे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिसूचित ठोस अपशिष्ट उत्सर्जक।

(ग) **"संग्रह"** का अर्थ है अपशिष्ट उत्सर्जन के स्रोत से ठोस अपशिष्ट को उठाना और संग्रहण बिन्दुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुँचाना।

(घ) **"सक्षम प्राधिकारी"** का अर्थ है नगर निगम के महापौर/नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत कोई कर्मचारी अभिप्रेत है।

(ड़) **"स्वच्छ क्षेत्र"** का अर्थ है किसी परिसर के सामने और चारों ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल है, जिनका रख-रखाव इन उपनियमों के अन्तर्गत किया जाना है।

(च) **"सामुदायिक कूड़ा घर (ढलाव)"** का अर्थ है नगर निगम द्वारा स्थापित और संचालित अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/या अधिभोगियों द्वारा मिलकर सड़क किनारे/ऐसे मालिकों/ अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस अपशिष्ट के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केन्द्र।

(छ) **"कंटेनराइज्ड हैंड कार्ट"** का अर्थ है ठोस अपशिष्ट के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु नगर निगम या उसके द्वारा नियुक्त ऐजेंसी/एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला।

(ज) **"सुपुर्दगी"** का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस अपशिष्ट को नगर निगम के वर्कर या ऐसे अपशिष्ट की सुपुर्दगी के लिए नगर निगम द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौपना अथवा उसे नगर निगम या नगर निगम द्वारा अधिकृत लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गये वाहन में डालना।

(झ) **"फिक्स्ड कॉम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस)"** का अर्थ है एक ऊर्जा चलित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस अपशिष्ट को कॉम्पैक्टर करने के लिए किया गया है और जो प्रचालन के समय स्थिर रहती है। प्रचालन के समय कॉम्पैक्टर मोबाईल भी हो सकती है, जिसे मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता है।

(ञ) **"कूड़ा-करकट"** का अर्थ है सभी प्रकार का कूड़ा और उसमें कोई भी ऐसा अपशिष्ट पदार्थ शामिल जिसे फेंकना अथवा संग्रह करना इन उप-नियमों के अंतर्गत प्रतिबन्धित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव जन्तु को परेशानी होने या पर्यावरण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुँचाने की आशंका हो।

(ट) **"गंदगी फैलाने"** का अर्थ है किसी ऐसी बस्ती अथवा स्थान में गन्दगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा तत्सम्बन्धी अनुमति देना, जहाँ वह गिरती, ढलती, बहती, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुँचती हो अथवा गन्दगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।

(ठ) **"स्वामी"** का अर्थ है जो किसी भवन, या भूमि या किसी भाग के मालिक के रूप में अधिकारो का इस्तेमाल करता है।

(ड) **"अधिभोगी/पट्टेदार"** का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसे व्यक्ति भी शामिल हैं, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा है।

(ढ़) **"पैलेटाइजेशन"** का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती है, जो ठोस अपशिष्ट से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकड़े होते हैं और उनके ईंधन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हे रिफ्यूज डेराइब्ड ईंधन (आरडीएफ) कहा जाता है।

(ण) **"निर्धारित" का अर्थ है,** एस.डब्ल्यू.एम. नियमों और/या इन उप नियमों द्वारा निर्धारित।

(प) **"सार्वजनिक स्थल"** का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ है, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नही।

(फ) **"संग्रहण"** का अर्थ है, ठोस अपशिष्ट को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गन्दगी न फैले और मच्छर आदि कीटों, आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके।

(ब) **"सैनेटरी वर्कर"** का अर्थ है, नगर निगम के इलाकों में ठोस अपशिष्ट एकत्र करने या हटाने अथवा नालियों को साफ करने के लिये नगर निगम/एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति।

(भ) **"शेड्यूल"** का अर्थ है, इन उप नियमों से सम्बद्ध शेड्यूल।

(म) **"इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार"** का अर्थ है, नगर निगम द्वारा समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अपशिष्ट उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस अपशिष्ट संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सकें।

(य) **"खाली प्लाट"** का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी/व्यक्ति/सरकारी एजेंसी से सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थान, जिस पर किसी का कब्जा न हो।

(2) यहाँ प्रयुक्त किये गये लेकिन परिभाषित न किए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो नगर निगम अधिनियम 1959 एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 अथवा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986 (1986 का अधिनियम संख्यांक 29) में अभिप्रेत है।

अध्याय- 2

ठोस अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण

4. **ठोस अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहणः-**

(i) सभी अपशिष्ट उत्सर्जको के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलों से उत्सर्जित होने वाले ठोस अपशिष्ट को नियमित रूप से पृथक करें और उसे संगृहीत करें। यह पृथक्करण मुख्य रूप से निम्नांकित 3 वर्गो में किया जायेगाः-

(क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा अपशिष्ट

(ख) जैव अपघटीय या गीला अपशिष्ट

(ग) घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट और तीनों श्रेणियों के अपशिष्ट को कवर्ड अपशिष्ट डब्बों में रखा जायेगा तथा समय-समय पर जारी नगर निगम के निर्देशों के अनुसार पृथक्कृत अपशिष्ट को निर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सोपेगा।

(ii) प्रत्येक थोक अपशिष्ट उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उत्सर्जित ठोस अपशिष्ट को पृथक करे और उसे संग्रहीत करे निम्नांकित 3 वर्गो में:-

(क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा अपशिष्ट

(ख) जैव अपघटीय या गीला अपशिष्ट

(ग) घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट, जैविक (गीला) अपशिष्ट को अपने परिसर में प्रसंस्करण कर कम्पोस्ट या बायोगैस आदि तैयार करना एवं पृथक्कृत अपशिष्ट को अधिकृत अपशिष्ट संग्रहण एजेंसी जरिए अधिकृत अपशिष्ट प्रसंस्करण अथवा निपटान केन्द्रो या संग्रहण केन्द्रों को सोंपेगा और उसके लिए नगर निगम को समय-समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत अपशिष्ट संग्रह एजेंसी को करेगा।

(iii) **पृथक किए गए अपशिष्ट के संग्रहण के लिए कूड़ेदानों का रंग इस प्रकार होगाः-**

हरा - जैव अपघटीय अपशिष्ट के लिए;

नीला - गैर-जैव अपघटीय या सूखा अपशिष्ट के लिए

काला - घरेलू जोखिम पूर्ण अपशिष्ट के लिए

(iv) नगर निगम रूद्रपुर के समस्त निवासी, कल्याण और बाजार संगठन(welfare and market organization), नगर निगम के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्रोत पर अपशिष्ट का पृथक्करण किया जाए। पृथक किए गए ठोस अपशिष्ट को अलग-अलग डिब्बों में संग्रहित किया जाए और फिर से इस्तेमाल करने वाले को सौंपी जाय। जैव अपघटीय अपशिष्ट की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासम्भव परिसर के भीतर किया जाएगा, जिससे बचे अपशिष्ट को नगर निगम द्वारा अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

(v) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय (gated colony) तथा संस्थान नगर निगम की भागीदारी के साथ, सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए अपशिष्ट को अलग-अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत पुनः चक्रीकरण करने वाले को सौपेगें। जैव अपघटीय अपशिष्ट की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासम्भव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए अपशिष्ट को नगर निगम द्वारा निर्देशित अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा। उक्त प्रकार की जाने वाली गतिविधि का डाटाबेस तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 01 तारीख को नगर निगम रूद्रपुर में उपलब्ध कराना होगा।

(vi) सभी होटल, रेस्तां, मैरिजहॉल और बैंकेट हॉल द्वारा नगर निगम के भागीदारी से, अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गए ठोस अपशिष्ट को अलग-अलग डिब्बे में संग्रहीत करेंगे और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालो को सौपेगे। जैव अपघटीय अपशिष्ट की प्रोसेसिंग उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन तकनीक के जरिए यथासम्भव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए अपशिष्ट को नगर निगम द्वारा निर्धारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौंपा जा सके। उक्त व्यवसायियों द्वारा अपने परिसर में प्रत्येक आयोजन पर नगर निगम रूद्रपुर में शुल्क जमा करना होगा तथा उक्त प्रकार की जाने वाली गतिविधि का डाटाबेस तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 01 तारीख को नगर निगम रूद्रपुर में उपलब्ध कराना होगा।

(vii) कोई व्यक्ति/संस्था द्वारा गैर-लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा, जिसमे 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरूरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए नगर निगम को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजक यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस अपशिष्ट को स्रोत पर अलग-अलग किया जाय, ताकि नगर निगम द्वारा निर्धारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौंपा जा सके।

(viii) नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत समस्त विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सब्जियाँ, फल आदि को अलग-अलग करके उपयुक्त कूड़ेदानों में संग्रहित करेंगे और उसे नगर निगम द्वारा अधिसूचित डिपो या कन्टेनर या वाहन को सौंपेगा।

(ix) उद्यान और बागवानी के अपशिष्ट उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित अपशिष्ट को अलग से एकत्र करेंगे और समय-समय पर नगर निगम के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।

(x) घरेलू अपशिष्ट को प्रत्येक अपशिष्ट उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे नगर निगम या उसके द्वारा अथवा उत्तराखण्ड सरकार या प्रदूषण नियन्त्रण समिति द्वारा ऐसे अपशिष्ट का संग्रह के लिए साप्ताहिक/समय-समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुँचाया जाएगा अथवा ऐसे अपशिष्ट को उत्तराखण्ड सरकार या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अधिसूचित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रह केन्द्र तक पहुंचाया जाएगा।

(xi) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस अपशिष्ट को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हें अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलीवरी निगम श्रमिक/वाहन/ अपशिष्ट

एकत्रकर्ता/अपशिष्ट संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय अपशिष्ट उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए अपशिष्ट संग्रह वाहन तक पहुँचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय-समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

अध्याय-3

ठोस अपशिष्ट संग्रह

5. ठोस अपशिष्ट का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगाः-

(i) नगर निगम के सभी क्षेत्रों या वार्डो में पृथक किए गए ठोस अपशिष्ट को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एस.डब्ल्यू.एम. नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मलिन और अनौपचारिक बस्तियों सहित दैनिक आधार पर प्रत्येक घर से अपशिष्ट एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर-घर जाकर अपशिष्ट एकत्र करने की औपचारिक प्रणाली को नगर निगम संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।

(ii) प्रत्येक घर से अपशिष्ट एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्ध क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और नगर निगम वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। घर घर जाकर अपशिष्ट एकत्र करने का समय सामान्यतया प्रातः 6:00 बजे से 11:00 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत अपशिष्ट उत्सर्जकों से अपशिष्ट एकत्र करने का समय प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक होगा तथा अपरान्हन में समस्त क्षेत्र से अपशिष्ट एकत्रित करने का समय 03:00 बजे से 06:00 बजे तक होगा अथवा नगर निगम द्वारा समय समय पर निर्धारित समय पर होगा।

(iii) अपशिष्ट को स्वः-स्थाने (In-situ) प्रोसेस करने वाले बल्क अपशिष्ट उत्सर्जको से अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट को एकत्र करने का प्रबन्ध किए जाएंगे।

(iv) सब्जी, फल, फूल, माँस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अवशिष्ट ठोस अपशिष्ट को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा। जिनके द्वारा की जाने वाली गतिविधि का डाटाबेस तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 01 तारीख को नगर निगम रूद्रपुर में उपलब्ध कराना होगा।

(v) बागवानी और उद्यान सम्बन्धी अपशिष्ट अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। जिनके द्वारा की जाने वाली गतिविधि का डाटाबेस तैयार करते हुए प्रत्येक माह की 01 तारीख को नगर निगम रूद्रपुर में उपलब्ध कराना होगा।

(vi) फलों और सब्जी बाजारो, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय अपशिष्ट का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे अपशिष्ट को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमे वह उत्सर्जित होता है।

(vii) कन्टेनरों में अपशिष्ट का हाथ से परिचालन निषेध है। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो अपशिष्ट का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा। जिसमें पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित एजेन्सी की होगी।

(viii) अपशिष्ट उत्सर्जक अपने पृथक किए गए अपशिष्ट को नगर निगम द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ता द्वारा तैनात होपर ऑटो-टिप्पर्स/रिक्शा आदि वाहनों में डालने के लिए जिम्मेदार होंगे। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटो, आवास परिसरों (इस उपनियमों के उप-खण्ड 4 व उप-खण्ड 5 के उप-नियम (iv) और (v) के अन्तर्गत आने वालों को छोडकर) से उत्सर्जित पृथक किए गए अपशिष्ट को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।

(ix) अपशिष्ट संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरूरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजों को ध्यान में रखा जाएगा। अपशिष्ट एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएगें, जो ऊपर से हाइड्रोलिक तरीके से संचालित होपर कवरिंग व्यवस्था से युंक्त होंगे और उनमें जैव अपघटीय और गैर-जैव अपघटीय अपशिष्ट के लिए अलग-अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे, ऐसे वाहनों पर हूटर भी लगा होगा।

(x) स्वचालित ध्वनि रिकार्डेड उपकरण, घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी अपशिष्ट संग्रह वाहन में अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा। जिस हेतु उत्तराखंड प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के मानकों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(xi) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाएँ नगर निगम द्वारा या अधिसूचित अधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएँ तालिका बद्ध और जीआईएस मानचित्र में होगी, जो नगर निगम द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित होगी और उनमे प्रारम्भिक बिन्दु, प्रारम्भ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग में रूकने का समय, अंतिम बिन्दु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। नगर निगम अथवा अधिसूचित अधिकृत अपशिष्ट संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक अपशिष्ट संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सके। ऐसी जानकारी नगर निगम की वेबसाइड पर अपलोड की जाएगी।

(xii) संकरी गलियों में, जहाँ ऑटोटिप्पर या वाहन की सेवायें संभव न हो, वहां थ्रिव्हीलर अथवा छोटे मोटरयुक्त वाहन/साईकिल रिक्शा काम पर लगाया जाएगा, जो ऊपर से हाइड्रोलिक तरीके से संचालित होपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होगा और उसमे गीले और सूखे अपशिष्ट के लिए अलग-अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनों में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।

(xiii) अत्यन्त भीड़-भाड़ वाले और अधिक संकरी गलियों वाले क्षेत्रों में जहाँ थ्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सके वहाँ साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे।

(xiv) ऐसी छोटी, तंग और भीड़ वाली गलियों/लेनों में जहाँ थ्रीव्हीलर/रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो, ऐसे स्थानों पर बस्ती/गली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहाँ अपशिष्ट संग्रह वाहन खड़ा किया जा सके और वाहन के हेल्पर के पास सीटी(Whistle) होगी और वें सीटी बजाते हुए गली में ठोस अपशिष्ट संग्रहण के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और नगर निगम की वेबसाइड पर अपलोड की जाएगी

(xv) ऑटोटिप्पर, थ्रीव्हीलर्स, रिक्शा और सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से अपशिष्ट एकत्र करेंगे, और अन्य स्रोतों जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूड़ेदानों और नालियों आदि से अपशिष्ट एकत्र नहीं करेंगे।

(xvi) नगर निगम या उसके अधिसूचित अधिकृत अपशिष्ट संग्रहर्ता प्राथमिक अपशिष्ट संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों/लेन को कवर करने के लिए जिम्मेदार होंगें।

अध्याय-4

ठोस अपशिष्ट का द्वितीयक संग्रहण

6. द्वितीयक संग्रहण बिन्दुओ में ठोस अपशिष्ट का संग्रहण निम्नांकित अनुसार किया जाएगा

i. घरों में एकत्र किया गया पृथक ठोस अपशिष्ट, अपशिष्ट स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूड़ा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या अपशिष्ट के द्वितीयक संग्रहण के लिए नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट स्थलों पर ले जाया जाएगा।

ii. ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिन्दुओं को कन्टेनरों को (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा, जिनसे निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होंगेः-

क) गैर-जैव अपघटीय अथवा सूखा अपशिष्ट।

(ख) जैव अपघटीय अथवा गीला अपशिष्ट।

(ग) घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट।

iii. पृथक किये गए अपशिष्ट के संग्रहण के लिए नगर निगम द्वारा चिन्हित अलग अलग कंटेनरों का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जाएगाः-

(क) हरा-जैव अपघटीय अपशिष्ट के लिए

(ख) नीला- गैर-जैव अपघटीय अपशिष्ट के लिए

(ग) काला- घरेलू जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के लिए

नगर निगम समय-समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्ट के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों के रंग संहिता और अन्य मापदण्ड अधिसूचित करेगी ताकि अपशिष्ट का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस अपशिष्ट उत्सर्जकों करना होगा।

iv. नगर निगम स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस अपशिष्ट संग्रहण केन्द्रों का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आस-पास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियाँ पैदा न हों।

v. द्वितीयक संग्रहण डिपो में विभिन्न आकार के कंटेनर नगर निगम या किन्ही अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किये जाएंगे, जो इस उप-नियमों में वर्णित अनुसार अलग-अलग रंगों के होंगे।

vi. संग्रहण केन्द्रों का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रखकर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में अपशिष्ट के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है।

vii. संग्रहण केन्द्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाईन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे अपशिष्ट ढका रहे और संग्रहण किए गए अपशिष्ट का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पड़े।

viii. सभी आवास सहकारी समितियों, एसोसिएशन, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे उप-नियमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूडेदान रखे और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानों पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कन्टेनर रखे ताकि वहाँ हर रोज उत्सर्जित अपशिष्ट ठीक ढंग से संगृहीत किया जा सके।

ix. नगर निगम या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे साप्ताहिक आधार पर सभी कूड़ाघरों की धुलाई और संक्रमण मुक्त बनाने की व्यवस्था करें।

x. **सूखे अपशिष्ट (गैर-जैव उपघटीय अपशिष्ट) के लिए रिसाइकलिंग सेन्टर।**

(क) नगर निगम अपने वर्तमान ढलाव अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार रिसाइकलिंग केन्द्रों के रूप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों/घर-घर जाकर अपशिष्ट एकत्र करने सम्बन्धी सेवा के जरिए एकत्र किए गए सूखे अपशिष्ट को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे अपशिष्ट की मात्रा के अनुसार रिसाइकलिंग केन्द्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।

(ख) गली/घर-घर जाकर अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली के जरिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा अपशिष्ट (गैर-जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट रिसाइकलिंग केन्द्रों को स्थानान्तरित किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केन्द्र केवल सूखा अपशिष्ट प्राप्त करेंगे।

(ग) परिवारों के लिए प्रावधान भी होगा कि वे अपना रिसाइकलिंग योग्य सूखा अपशिष्ट इन रिसाइकलिंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते है अथवा अधिकृत एजेंटो और/या नगर निगम से अधिकृत अपशिष्ट व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरों के अनुसार बेच सकते हैं। इस प्रयोजना के लिए प्रत्येक रिसाइकलिंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउन्टर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत अपशिष्ट व्यापारी को इस बात की अनुमति होगी की वे रिसाइकिल योग्य अपशिष्ट को एस.डब्ल्यू.एम. नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रिसाइकलिंग यूनिटो को बेच सकता है। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत व्यापारी बिक्री से प्राप्त धनराशि रखने का हकदार होंगे।

xi **निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के लिए संग्रहण केंद्र**

(क) घरेलू जोखिमपूर्ण अपशिष्ट के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहाँ निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण अपशिष्ट को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार यथासंभव प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे अपशिष्ट प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।

(ख) नगर निगम अपनी एजेंसी को या छुटग्राही को यह दायित्व सौंप सकती है कि वह सभी अपशिष्ट उत्सर्जको से घरेलू जोखिमपूर्ण अपशिष्ट पृथक्कृत तरीके से एकत्र करें।

(ग) इस तरह प्राप्त किया गया अपशिष्ट सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण अपशिष्ट निपटान केंद्रों पर अलग से लाया जाएगा।

अध्याय-5

ठोस अपशिष्ट की ढुलाई

7. **ठोस अपशिष्ट की ढुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगीः-**

i. अपशिष्ट की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भली-भाँति ढके हुए होंगे ताकि एकत्र अपशिष्ट का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पड़े। इन वाहनों में कॉम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन शामिल हो सकते है, जो नगर निगम द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगें।

ii. नगर निगम द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र अपशिष्ट के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूड़ेदान या कंटेनरों के आस-पास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।

iii. आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथक्कृत जैव अपघटीय अपशिष्ट प्रोसेसिंग प्लांटो जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो मिथेनेशन प्लांट या अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुंचाया जाएगा।

iv. जहां कही प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय अपशिष्ट के लिए, ऐसे अपशिष्ट की स्वः-स्थाने **(In-situ)** प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

v. एकत्र किया गया गैर-जैव अपघटीय अपशिष्ट सम्बद्ध प्रोसेसिंग केन्द्रो अथवा द्वितीयक संग्रहण में पहुँचाया जाएगा।

vi. नगर निगम अपशिष्ट की समुचित ढंग से ढुलाई के प्रबन्ध करेगा। गलियों को बुहारने **(sweep)** से उत्पन्न अपशिष्ट और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।

vii. ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अन्तिम निपटारे से पहले अपशिष्ट के बार-बार परिचालन से बचा जा सके।

viii. अपशिष्ट संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन अपशिष्ट को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस जहाँ कही प्रदान किए गए हों, में जमा/स्थानान्तरित करेंगे।

ix. यदि किसी कारणवश एमटीएस/एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खड़े नही पाए जाएगें, तो लदा वाहन एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा अपशिष्ट को उतारने के लिए नगर निगम द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।

x. फिक्स्ड काम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन को हुक लोडर के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।

xi. अपशिष्ट की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित अपशिष्ट का परस्पर मिश्रण नहीं होना चाहिए।

xii. अपशिष्ट के गली स्तरीय संग्रहण और ढुलाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी।

xiii. इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से अपशिष्ट संग्रह करने वाले निर्दिष्ट ऑटो-टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों/कूड़ादानों से अपशिष्ट प्राप्त करेंगा।

xiv. परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर-घर जाकर ठोस अपशिष्ट संग्रह करने में लगे ऑटो-टिप्परों, तिपहिया वाहनों, रिक्शा आदि से अपशिष्ट प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रूट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्ध एमटीएस तैनात किए जाएगें।

xv. एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो अपशिष्ट को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूड़ा करकट इधर-उधर न फैले।

xvi. ठोस अपशिष्ट को स्थानान्तरित करते समय एमटीएस और एफटीएस के इर्द-गिर्द रिसे हुए अपशिष्ट को साफ किया जाना चाहिए, ताकि कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चहिए।

xvii. नगर निगम अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रो पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

अध्याय- 6

ठोस अपशिष्ट की प्रोसेसिंग

8. ठोस अपशिष्ट की प्रोसेसिंगः-

i. नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग केन्द्रो और सम्बद्ध ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के द्वारा इस कार्य को अंजाम देगा, ताकि ठोस अपशिष्ट के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योगिकियों सहित उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानक का अनुपालन किया जायेगाः-

(क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नवत रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो-मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय अपशिष्ट की जैव-स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्वति।

(ख) केन्द्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम/बड़े कम्पोस्टिंग/बायो-मिथेनेशन प्लांटो के जरिए।

(ग) अपशिष्ट की ऊर्जा प्रक्रियाओं के जरिए, ठोस अपशिष्ट आधारित बिजली संयंत्रो को अपशिष्ट के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइव्य ईधन के रूप में अथवा फीड स्टॉफ आपूर्ति के रूप में ईधन प्रदान करते हुए।

ii. नगर निगम रिफ्यूज डेराइब्ड फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सृजित करने का प्रयास करेगा।

iii. अपशिष्ट से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भस्मीकरण के लिए अपशिष्ट का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्ध अनुबंधो की कार्यशर्तो का हिस्सा होगा।

iv. नगर निगम सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, काँच, कपड़ा आदि रिसाइकिल योग्य पदार्थ रिसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियों को भेजा जाए।

9. ठोस अपशिष्ट की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा-निर्देशः-

i. नगर निगम सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारो, द्वारबंद समुदायों और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलों एवं रेस्त्राओं, बैंकेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो-मिथेनेशन के जरिए जैव अपघटीय अपशिष्ट वाले अन्य अपशिष्ट उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय अपशिष्ट की स्व-स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।

ii. नगर निगम यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय अपशिष्ट की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।

iii. नगर निगम यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्को से उत्सर्जित अपशिष्ट का निपटान अलग से यथासंभव पार्को और उद्यानों मे ही किया जाए।

iv. नगर निगम अपशिष्ट प्रबन्धन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर अपशिष्ट की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा, परन्तु ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्सम्बन्धी यूनिट के आस-पास स्वच्छता स्थितियाँ बनाए रखना अनिवार्य होगा।

अध्याय-7

ठोस अपशिष्ट का निपटान

10. ठोस अपशिष्ट का निपटानः-

नगर निगम अवशिष्ट और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित अपशिष्ट तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एस.डब्ल्यू.एम. नियमों के अन्तर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरूप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैडफिल और सम्बद्ध ढांचे का निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव करेगा।

अध्याय-8

इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना/दंड लगाना

11. ठोस अपशिष्ट का संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्कः-

i. अपशिष्ट उत्सर्जकों से अपशिष्ट संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए नगर निगम द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची-1 मे निर्दिष्ट है।

ii. अपशिष्ट उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली नगर निगम के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

iii. नगर निगम इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए अपशिष्ट उत्सर्जन का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाएगा।

iv. नगर निगम ऑनलाइन भुगतान के सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्वतियाँ अंपनाएगा।

v. इस्तेमालकर्ता वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमे प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।

vi. वार्षिक और छमाही भुगतान की प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने के बजाये 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान छः महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग की राशि छः महीने के बजाये साढे पाँच महीने के लिए वसूल की जाएगी।

vii. अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक पर परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 10 प्रतिशत बढ जाएगा।

viii. इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए कार्मिक/अधिकृत संस्थान द्वारा की जाएगी।

ix. इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी द्वारा चूककर्ता से उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जायेगी।

12. एस.डब्ल्यू.एम. नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना/दंडः-

i. एस.डब्ल्यू.एम. नियमों अथवा इन उप-नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप-नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।

ii. उपरोक्त खंड (i) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर-अनुपालन की स्थिति बार-बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।

iii. जुर्माना या दंड लगाने हेतु निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारी नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, सहायक नगर आयुक्त, उप नगर आयुक्त, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी, वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी, अधिशासी अभियंता, स्वास्थ्य निरीक्षक, कर निरीक्षक, सब इन्स्पेक्टर, चैकी, थाना प्रभारी होंगे तथा जिला मजिस्ट्रेट एवं महापौर सामान्य या विशेष आदेश के अधीन अन्य अधिकारियों को भी नामित कर सकते हैं। जुर्माना/दण्ड राशि अनुसूचि 2 तथा अध्याय 10, 11, 12, 13 एवं 14 में दी गई है।

iv. अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दण्ड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः पाँच प्रतिशत बढ़ जाएगी।

v. निर्दिष्ट/प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्मने के भुगतान मौके पर जमा न करने में उक्त धनराशि भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल की जायेगी एवं मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

अध्याय-9

प्रतिभागियों के दायित्व

13. अपशिष्ट उत्सर्जकों के दायित्वः-

(i) कूड़ा फेकने पर पाबंदी।

(क) किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा फैलानाः- अधिकृत सार्वजनिक या निजी कूड़ादानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थल पर कूड़ा नही फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन के लिए प्रावधान किए गए सार्वजनिक केंद्रों या सुविधाओं को छोड़कर किसी सार्वजनिक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नही करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नही करेगा।

(ख) किसी संपत्ति पर कूड़ा फैलानाः- अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूड़ेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त सम्पत्ति पर कूड़ा नहीं डालेगा।

(ग) वाहनों से कूड़ा फैकनाः- किसी वाहन के स्वामी/ड्राइवर या यात्री के रूप में कोई व्यक्ति किसी गली, सड़क, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैण्ड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा नही फेकेगा।

(घ) मालवाहक वाहन से गन्दगी डालनाः- कोई भी व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नही चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो ताकि सड़क, फुटपाथ, खेल का मैदान, उद्यान, ट्रेफिक आइलैण्ड या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सकें।

(ङ) नालियों आदि में अपशिष्ट का निपटानः- कोई व्यक्ति/संस्था द्वारा किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नही डालेगा।

(ii) "स्वच्छ क्षेत्र" प्रत्येक व्यक्ति/संस्था यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आस-पास का क्षेत्र स्वच्छ रहें। इन स्थानों में फुटपाथ और खुली नालियाँ/गटर, सड़क किनारा शामिल है, जो किसी भी तरह ठोस या तरल अपशिष्ट से मुक्त होने चाहिए।

(iii) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रदर्शनियाँ, सर्कस, मेले, राजनैतिक रैलियाँ, वाणिज्यक, धार्मिक, सामाजिक, सास्कृतिक कार्यक्रयों, विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनों आदि सहित) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमे पुलिस विभाग और/या नगर निगम से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आस-पास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करें।

(iv) ऐसे आयोजनों के मामले में आयोजक के नगर निगम द्वारा अधिसूचित रिफण्ड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्ध जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अवधी में उसके पास रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जाँच की जाएगी कि उक्त सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई है। यह धरोहर राशि सार्वजनिक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमे सम्पत्ति को पहुँचाई गई किसी भी प्रकार की क्षति का हर्जाना नही होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित अपशिष्ट की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में नगर निगम की सेवाए प्राप्त करना चाहते हो, तो उन्हे नगर निगम के सम्बद्ध जोनल अधिकारी को आवेदन करना होगा तथा इस प्रायोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा करना होगा।

(v) खाली प्लांट पर ठोस अपशिष्ट डम्प करने और गैर-निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट डाले जाने की स्थितियों से नगर निगम निम्नांकित ढंग से निपटेगा:-

(क) नगर निगम किसी परिसर के मालिक/अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमे ऐसे मालिक/अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के अपशिष्ट को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।

(ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय-समय पर निर्धारित दण्ड का भुगतान करना होगा।

(ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहता है तो नगर निगम निम्नांकित कार्यवाही कर सकता है:-

(i) ऐसे परिसर में प्रवेश कर अपशिष्ट को साफ करना, और

(ii) अधिभोगी से अपशिष्ट साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेंगा।

(vi) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपकिन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या मालिकों का दायित्वः-

(क) डिस्पोजेबल उत्पादों जैसे टिन, काँच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा नगर निगम के अधिकारी क्षेत्र में आने वाले बाजारों में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले फैक्ट्री मालिकों/व्यापारियों को अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली के लिए नगर निगम को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। नगर निगम इस प्रावधान के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकता है।

(ख) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रैंड मालिक या विपणन कम्पनियाँ अपने उत्पादों की रैपिंग और डिस्पोजल के लिए लोगों को शिक्षित करेंगी।

14. नगर निगम के दायित्वः-

i. नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गलियों/मार्ग, सार्वजनिक स्थलों, अस्थाई बस्तियों, मलिन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नालियों, आदि की सफाई की नियमित प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी होगी। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीने लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनर से अपशिष्ट एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुँचाने के लिए बाध्य होगा। जिसके लिए नगर निगम अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबन्ध के आधार पर प्राइवेट पार्टियों को काम पर लगा सकता है अथवा सरकारी निजी भागीदार व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त नगर निगम सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों ऐसे वाणिज्यिक क्षेत्रों की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाड़ू लगाने की आवश्यकता हो।

ii. नगर निगम अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रों आदि के आस-पास पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूड़ेदानों का रख रखाव करेगा। संस्थानों के परिसर के अन्दर कूडेदान की व्यवस्था स्वंय संस्थान द्वारा की जायेगी।

iii. नगर निगम विकेन्द्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, ताकि वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सार्वजनिक स्थलों पर बने पेशाबघरों, सार्वजनिक अपशिष्ट के लिए बनाए ट्रांसफर स्टेशन, लैडफिल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थानों की निगरानी रख सके।

iv. सक्षम प्राधिकारी ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिसमें कम से कम अपर नगर आयुक्त या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जायेगी।

v. प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और तद्नुसार कार्मिक तैनात किये जाएंगे या वर्तमान तैनाती को युक्तिसंगत बनाया जायेगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। नगर निगम जहाँ कही अपने स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असमर्थ होगा, तो वह अनुबन्ध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकती हैं। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

vi. नगर निगम अद्यतन सड़क/गली क्लीनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपिंग अथवा उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाड़ू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।

vii. नगर निगम सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा अपशिष्ट उत्सर्जकों और अन्य हितभागियों को एस.डब्ल्यू.एम. नियमों और इन उप नियमों के विभिन्न प्राविधानों के बारे में प्रशिक्षित करेगा, जिसमें इस्तेमाल करता शुल्क और जुर्माना/दंड सम्बन्धी प्रावधानों की जानकारी पर विशेष बल दिया जायेगा।

viii. नगर निगम अपशिष्ट उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले अपशिष्ट का स्रोत पर ही उपचार करें। नगर निगम विकेन्द्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो-मिथेनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनों और संस्थानों

आदि को पुरस्कृत और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाईटों में प्रकाशित करना अथवा सम्पत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते हैं।

ix. नगर निगम स्वयं द्वारा रख-रखाव किये जा रहे सभी पार्कों, उद्यानों और जहाँ कहीं सम्भव हो अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्व तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक अपशिष्ट रिसाईक्लिंग क्षेत्र द्वारा किये जाने वाले रिसाईक्लिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किये जा सकते हैं।

x. नगर निगम ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणालियों को सुचारू और औपचारिक बनाने के लिए उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि अपशिष्ट प्रबन्धन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (अपशिष्ट बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, ताकि उनके कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हें ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सके।

xi. नगर निगम यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सहित वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताने, रेनकोट, समुचित फुटवेयर और मास्क प्रदान किये जायें जो ठोस अपशिष्ट परिचालन कार्य करते है और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाय।

xii. नगर निगर अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत सुरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा/करायेगा।

xiii. किसी ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैंडफिल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल नगर निगम को रिर्पोट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केन्द्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

xiv. नियमित जाँचः महापौर/नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी/कर्मचारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस अपशिष्ट के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से सम्बन्धित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एस.डब्ल्यू.एम. नियमों और इन उप-नियमों के विभिन्न प्रावधानों का पालन हो रहा है।

xv. नगर निगम अपने मुख्यालय में कॉलसेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एस.एम.एस. आधारित सेवा, मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती है।

xvi. नगर निगम एस.डब्ल्यू.एम. नियमों और उप-नियमों के कार्यान्वयन से सम्बद्व कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए कार्ड प्रौद्योगिकियों/आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाड़ी/परिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।

xvii. पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुँच:-अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम अपनी वेबसाइट से सारी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करेगा।

xviii. नगर निगम एस.डब्ल्यू.एम. नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं किए गये हैं।

अध्याय-10

निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट

15(i) परिभाषाः-

(क) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का वही अर्थ होगा जो भारत सरकार के निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, 2016 के नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया है। जो कि निम्नवत हैः-

"ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जिसमें भवन सामग्रियां, मलबा और रोड़ी जो संनिर्माण पुनः प्रतिरूपण, मरम्मत तथा किसी सिविल संरचना के ध्वंस से उद्धृत होता हो। "

(ख) भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र पर प्रकाशित निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, 2016 गजट नोटिफिकेशन दिनांक 29 मार्च 2016 द्वारा प्रख्यापित समस्त नियम एवं कोई संशोधित नियम इस उपनियम के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से नगर निगम, रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत की जाने वाली गतिविधियों के लिए भी मान्य होंगे।

(ii) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्सर्जकों का दायित्वः- सभी निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्सर्जकों के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों से उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट की सूचना नगर निगम, रूद्रपुर को देते हुए अनुमति प्राप्त कर स्वयं के वाहन के माध्यम से अपशिष्ट का परिवहन करेंगे।

(क) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्सर्जको का यह दायित्व होगा कि वह अपने उपरोक्त अपशिष्ट का निस्तारण नगर निगम रूद्रपुर द्वारा निर्धारित स्थल पर करेंगे तथा उसकी सूचना निस्तारण से पूर्व नगर निगम को देते हुए निस्तारण की अनुमति नगर निगम से प्राप्त करेंगे। जिसका शुल्क निम्नवत होगा। निस्तारण हेतु भरान, ढुलान आदि की व्यवस्था निस्तारण स्थल तक ले जाने हेतु स्वय उत्सर्जक की होगी। यदि नगर निगम द्वारा ढुलान की व्यवस्था की जाती है तो अतिरिक्त शुल्क उत्सर्जक को देना होगा।

a) 5 घन मीटर तक - रू0 500.00
b) 5 से 10 घन मीटर तक - रू0 800.00
c) 10 से 20 घन मीटर तक - रू0 1500.00
d) 20 से 50 घन मीटर तक - रू0 3000.00
e) 50 से 100 घन मीटर तक - रू0 5000.00
f) 100 घन मीटर से ऊपर - रू0 5000.00 + रू0 700.00 प्रति 10 घन मीटर

(ख) किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को सार्वजनिक स्थल/मार्ग/जलश्रोत में नहीं डाला जाएगा।

(ग) किसी भी प्रकार की निर्माण सामग्री को सार्वजनिक स्थल/मार्ग में रखने हेतु अधिकतम दो घण्टे का समय मान्य होगा। स्वामी द्वारा दो घण्टे के अन्दर निर्माण सामग्री को हटाना आवश्यक होगा।

(घ) किसी भी परिस्थिति में निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को ठोस अपशिष्ट में मिश्रित करना वर्जित होगा।

(ङ) निर्माण एवं विध्वंस उत्सर्जक का यह दायित्व होगा कि वह निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का निस्तारण नगर निगम रूद्रपुर द्वारा निर्धारित स्थल पर ही करेगा।

(च) नगर निगम रूद्रपुर द्वारा अथवा अनुबंधित संस्था द्वारा कोई भी निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट/निर्माण सामग्री जब्त करने के उपरान्त निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट/निर्माण सामाग्री के स्वामी द्वारा एक सप्ताह के अन्दर अपनी जब्त सामाग्री की माँग करना अनिवार्य होगा। एक सप्ताह के उपरान्त सामग्री की माँग नहीं की जायेगी/मान्य नहीं होगी। उपरान्त एक सप्ताह के यह माना जायेगा कि जब्त की गई सामग्री की सामग्री स्वामी को आवश्यकता नहीं है।

15(iii) नगर निगम रूद्रपुर का दायित्वः-

(क) नगर निगम रूद्रपुर का यह दायित्व होगा कि निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट/निर्माण सामग्री के निस्तारण हेतु एक निश्चित स्थल की स्थापना/चयन सुनिश्चित करेगा।

(ख) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट/निर्माण सामग्री निस्तारण स्थल पर आवश्यक मशीनीकरण/उपकरण की व्यवस्था नगर निगम रूद्रपुर द्वारा की जायेगी।

(ग) यदि नगर निगम रूद्रपुर द्वारा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट/निर्माण सामग्री जब्त की जाती है तो उसे उठाने/निस्तारण करने या निर्धारित स्थल तक लाने में आने वाला व्यय मय जुर्माने के निर्माण एवं विध्वंस उत्पन्नकर्ता या निर्माण सामग्री रखने वाले स्वामी से वसूल करने का अधिकार नगर निगम रूद्रपुर का होगा।

(घ) नगर निगम रूद्रपुर से यदि किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा नियमावली के विरूद्ध रखे गये निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट या निर्माण सामग्री की वापसी की माँग की जाती हे तो उसे वापसी का अधिकार नगर आयुक्त/सहायक नगर आयुक्त को होगा परन्तु उक्त सामग्री में बिन्दु संख्या 3(ग) के अनुसार आरोपित किया गया जुर्माना सामग्री स्वामी को जमा करना होगा तथा स्वंय के व्यय पर सामग्री वापस ले जानी होगी।

(ङ) नगर निगम रूद्रपुर अथवा अनुबन्धित संस्था द्वारा किसी व्यक्ति एवं संस्था का निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट या निर्माण सामग्री को जब्त करने पर होने वाली क्षति या हानि पर किसी प्रकार का हर्जाना आदि की माँग स्वामी द्वारा नहीं की जायेगी/मान्य नही होगी।

(च) नगर निगम रूद्रपुर द्वारा जब्त निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट या निर्माण सामग्री जब्त करने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर यदि सामाग्री स्वामी द्वारा अपनी जब्त सामग्री की माँग नहीं की जाती है तो नगर निगम उक्त सामग्री को किसी भी रूप में उपयोग/विक्रय/निस्तारण कर सकेगा।

(छ) नगर निगम रूद्रपुर यह दायित्व होगा कि निर्धारित स्थल पर प्राप्त निर्माण एवं अपशिष्ट का पृथकीकरण की यथोचित व्यवस्था करेगा ताकि अपशिष्ट का विधिवत निस्तारण/विक्रय कर अधिक से अधिक लाभ अर्जित किया जा सके।

(ज) नगर निगम रूद्रपुर द्वारा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को निस्तारण स्थल पर एकत्रित/जब्त किये गये निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट के विक्रय का अधिकार होगा, जिसमे सामग्री के अनुसार दरें निम्नवत होंगी।

क्र०सं०	सामाग्री का नाम	दर (रूपय में)
	मिट्टी	20.00 (प्रति कुण्टल)
02	रेत (sand)	40.00 (प्रति कुण्टल)
03	बजरी (Aggregate)	40.00 (प्रति कुण्टल)
04	ईंट (Brick)	03.00 (प्रति नग)
05	ईंट टूटा हुआ	50.00 (प्रति कुण्टल)
06	निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट	30.00 (प्रति कुण्टल)

15(iv) अध्याय-10 में निर्दिष्ट उपनियमों का उल्लघन्न करने पर जुर्मानाः-

(क) यदि किसी संस्था/व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल/मार्ग/पटरी आदि पर निर्धारित अवधि से अधिक समय तक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट या निर्माण सामग्री रखी जाती है तो निगम बिना सूचना के उक्त सामग्री को जब्त कर सकेगा तथा स्वामी पर जुर्माना लगा सकेगा जोकि रू0 1000.00 से कम नहीं होगा।

(ख) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्सर्जकों उक्त उपनियम का उल्लघंन करते हुये पकड़े जाने पर इस अध्याय के नियम 2(क) पर अंकित अनुमति धनराशि के सापेक्ष चार गुना जुर्माना नगर निगम, रूद्रपुर में जमा करना होगा। जिसके लिए नगर निगम, रूद्रपुर के सफाई निरीक्षक अथवा इससे उच्चाधिकारी ही प्राधिकृत है।

अध्याय-11

ई-अपशिष्ट

16(i) परिभाषाः-

(क) ई-अपशिष्ट का वही अर्थ होगा जो भारत सरकार के ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 3(1)(द) में निर्दिष्ट किया गया है। जो कि निम्नवत है:-

"ई-अपशिष्ट से अपशिष्ट विद्युत और इलैक्ट्रोनिक उपकरण के उपभोगता, ठोक उपभोगता द्वारा समग्र रूप या उनके भाग या उनके विनिर्माण, नवीनीकरण और मरम्मत प्रक्रिया से उत्पन्न अपशिष्ट अभिप्रेत जिन्हें अपशिष्ट के रूप में अस्वीकृत किया जाना उद्दिष्ट हो।

(ख) भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र पर प्रकाशित ई-अपशिष्टं (प्रबंधन) नियम, 2016 दिनांक 23 मार्च 2016 जोकि दिनांक 01 अक्टूबर 2016 से लागू है द्वारा प्रख्यापित समस्त नियम तथा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2018 जोकि दिनांक 22 मार्च 2018 को भारत के राजपत्र पर प्रकाशित है, के समस्त संशोधित नियम इस अधिनियम के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तिथि से नगर निगम, रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत की जाने वाली गतिविधियों के लिये भी प्रवृत होंगे।

16 (ii) ई-अपशिष्ट उत्सर्जको का दायित्वः-

(क) समस्त संस्थान/भवन स्वामी/प्रतिष्ठान/व्यापार संचालक का यह दायित्व होगा कि वह अपने प्रतिष्ठान/संस्थान/भवन से उत्पन्न होने वाले ई-अपशिष्ट को अपने परिसर/भवन में ही संग्रहित करेंगे।

(ख) ई-अपशिष्ट उत्सर्जकों का दायित्व होगा कि वह अपने संस्थान/भवन/परिसर में उत्पन्न होने वाले ई-अपशिष्ट को किसी भी परिस्थिति में ठोस अपशिष्ट/निर्माण एवं विधंवश अपशिष्ट या अन्य अपशिष्ट में मिश्रित नहीं करेंगे। न ही मिट्टी में दवाएँगे तथा न किसी सार्वजनिक स्थल, मार्ग आदि में फेकेंगे/न फैलाएगा।

(ग) ई-अपशिष्ट उत्सर्जकों द्वारा किसी निर्धारित संस्था/व्यक्ति को ही ई-अपशिष्ट देना होगा।

(घ) ई-अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता अपने अपशिष्ट को वैज्ञानिक रूप से ई-अपशिष्ट निस्तारण करने वाले किसी ऐसे व्यक्ति/ संस्था को विक्रय कर सकता है जो नगर निगम रूद्रपुर में पंजीकृत है या नगर निगम रूद्रपुर द्वारा अनुबन्धित संस्था/व्यक्ति को उपलब्ध करायेगा परन्तु 01 किलोग्राम या अधिक प्रतिदिन ई-अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता का यह दायित्व होगा कि ई-अपशिष्ट का जिस विधि से निस्तारण करता है उसकी सूचना मय मात्रा के अपनी पंजिका में दर्ज करेगा एवं नगर निगम को प्रत्येक माह की 01 तारीख को उपलब्ध करायेगा।

(ङ) किसी संस्था/व्यक्ति/ओधोगिक संस्थान द्वारा ई-अपशिष्ट का निस्तारण बिन्दु संख्या घ के अलावा किसी अन्य निर्धारित वैज्ञानिक विधि से किया जाता है, जिससे कि ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2016 या उसमें समय-समय पर किये गये संशोधित नियम का उल्लंघन न हो तो उसकी सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर निगम को उपलब्ध कराते हुए नगर आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कार्मिक से अनुमति लेनी होगी।

(च) यदि ई-अपशिष्ट उत्सर्जकों द्वारा ई-अपशिष्ट का निस्तारण वैज्ञानिक रूप से स्वयं कि व्यवस्था द्वारा किया जाता है तो सम्बन्धित संस्था/फर्म द्वारा नगर निगम, रूद्रपुर में अपने ई-अपशिष्ट का विवरण जमा करते हुए रू0 1000.00 का शुल्क जमा कर अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(छ) समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार/मा0 उच्चतम न्यायलय/मा0 उच्च न्यायलय/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों का अनुपालन यथा आवश्यकता ई-अपशिष्ट उत्सर्जक के द्वारा करना अनिवार्य होगा।

(ज) ई-अपशिष्ट का निपटान इस अध्याय के उपनियम 16(1)(ख) में निर्दिष्ट अनुसार किया जायेगा। अथवा नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा किया जायेगा। जिसके लिये नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा अपशिष्ट संग्रहण एजेंसी को अधिकृत भी किया जा सकता है जोकि ई-अपशिष्ट का परिवहन स्वयं के संसाधनों से करते हुये एकत्रित अपशिष्ट को नगर निगम, रूद्रपुर क्षेत्र से बाहर वैज्ञानिक रूप से किये जाने वाले निपटान केन्द्रों या संग्रहण केन्द्रो को सौपेंगी तथा नगर निगम, रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत कार्य करने के लिये सेवा शुल्क का भुगतान नगर निगम, रूद्रपुर को करेगी।

16 (iii) नगर निगम रूद्रपुर का दायित्व:-

(क) नगर निगम ई-अपशिष्ट एकत्रीकरण हेतु स्वंय या किसी संस्था के माध्यम से वैज्ञानिक विधि अनुसार निस्तारण करेगा/करायेगा ताकि पर्यावरण प्रदूषण/जल प्रदूषण/वायु प्रदूषण आदि प्रदूषण में कमी आये।

(ख) यदि नगर निगम द्वारा ई-अपशिष्ट संग्रहण हेतु किसी संस्था या व्यक्ति को अधिकृत किया जाता है तो किसी संस्था/व्यक्ति को अधिकृत करने हेतु उŸ◌ाराखण्ड शासन द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन आवश्यक रूप से करेगा।

(ग) ई-अपशिष्ट के संग्रहण हेतु भूमि/स्थल का चयन एवं ई-अपशिष्ट के सेग्रीगेशन/भण्डारण/यथा आवश्यकता मशीनीकरण आदि की व्यवस्था का दायित्व नगर निगम का होगा।

(घ) नगर निगम को यह अधिकार होगा कि नगर आयुक्त या नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी/कार्मिक जो सफाई निरीक्षक के पद के स्तर से कम न हो, किसी भी संस्थान में निरीक्षण कर सकेगा तथा सस्थान से ई-अपशिष्ट से निस्तारण आदि का विवरण मांग सकेगा।

16 (iv) संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिये शुल्क:-

(क) ई-अपशिष्ट के संग्रहण, ढुलाई एवं निपटान के लिये शुल्क का निर्धारण नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा समय-समय पर एजेंसी अधिकृत करने के लिये आमंत्रित निविदा, अभिरूचि की अभियक्ति आदि के माध्यम से प्राप्त होने वाली दरों अनुसार किया जायेगा। जिसमें अधिकृत एजेंसी द्वारा निर्धारित दरों की न्यूनतम 10 प्रतिशत धनराशि नगर निगम, रूद्रपुर को सेवा प्रदाता के रूप में जमा करनी होगी तथा समुचित व्यवस्था का डाटाबेस या निगम द्वारा चाही गई सूचना नियमित रूप से तैयार करते हुये प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नगर निगम, रूद्रपुर में उपलब्ध कराना होगा। इस नियम में संशोधन की आवश्यकता होने पर केवल सक्षम प्राधिकारी ही अनुमति ही मान्य होगी।

(ख) अधिकृत एजेंसी को अपने वाहन में जी0पी0एस0 लगाना एवं उसका अधिकार नगर निगम, रूद्रपुर को भी देना अनिवार्य होगा।

16 (v) **अध्याय-11 में निर्दिष्ट उपनियमों का उल्लंघन होने पर जुर्माना:-** ई-अपशिष्ट उत्सर्जकों द्वारा उक्त उपनियम का उल्लंघन करते हुये पकड़े जाने पर निम्नानुसार जुर्माना धनराशि नगर निगम, रूद्रपुर में जमा करना होगा।

क्र0सं0	ई-अपशिष्ट उत्सर्जकों का प्रकार	प्रशमन चार्ज (रू0 में)			
		प्रथम बार	द्वितीय बार	तृतीय बार दोहराये जाने पर	चतुर्थ बार दोहराये जाने पर
1	घरेलू गतिविधियों से ई-अपशिष्ट	100	200	500	नगर निगम रूद्रपुर द्वारा व्यवसाय के नियंत्रण करने हेतु जारी लाईसेंस को निरस्त कर दिया जायेगा अथवा परगना मजिस्ट्रेट रूद्रपुर को सम्बन्धित के
2	व्यवसायिक गतिविधियों से उत्सर्जि कई-अपशिष्ट (औद्योगिक व्यवसाय को छोड़कर)	200	500	1000	

4	औद्योगिक व्यवसाय से उत्सर्जिक ई-अपशिष्ट	2000	5000	10000	विरूद्ध CRPF की धारा 133 के तहत कार्यवाही करने हेतु संस्तुति पत्र भेज दिया जायेगा। उक्त समस्त कार्यवाही एक साथ भी की जा सकती है।

उक्त जुर्माना वसूल करने का अधिकार नगर आयुक्त या नगर आयुक्त द्वारा नामित/अधिकृत कार्मिक जो सफाई निरीक्षक स्तर से कम न हो द्वारा को होगा।

16 (vi) उपनियम का उल्लंघन करने पर आरोपित अर्थदण्ड दण्डित व्यक्ति/संस्था द्वारा अन्दर 15 दिवस के करना अनिवार्य होगा। यदि दण्डित व्यक्ति/संस्था द्वारा निर्धारित अवधि में अर्थदण्ड जमा नहीं किया जाता है तो जुर्माने की वसूली मय अन्य चार्ज (यदि लागू हो) भू-राजस्व की भाँति करने का अधिकार नगर निगम का होगा। भू-राजस्व की भाँति वसूली करने हेतु नगर निगम की जब तक अपनी व्यवस्था नहीं होती है तब तक नगर निगम वसूली हेतु जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर को वसूली पत्र/अनुरोध पत्र भेजगा।

अध्याय-12

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट

17(i) -परिभाषा-

(क) जैव चिकित्सा अपशिष्ट का वही अर्थ होगा जो भारत सरकार के जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के नियम-3(च) में परिभाषित किया गया है। जो कि निम्नवत है:-

"जैव चिकित्सा अपशिष्ट से कोई ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है, जिसका जनन मानवों या पशुओं के निदान, शोधन या प्रतिरक्षण के दौरान या उससे संबन्धित अनुसंधान कार्यकलापों या जैविकीय उत्पादन या परिक्षण में विभिन्न स्वास्थ्य कैम्पों में जिसके अधीन भारत के जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 की अनुसूची-Iमें उल्लिखित प्रवर्ग भी है, के दौरान हुआ है।"

(ख) भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र पर प्रकाशित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 दिनाँक 28 मार्च 2016, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (संशोंधन) नियम, 2018 दिनाँक 16 मार्च 2018, जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन (संशोंधन) नियम, 2019 दिनाँक 19 फरवरी 2019 तथा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन(द्वितीय संशोधन) नियम, 2019 दिनाँक 10 मई 2019 के समस्त नियम इस अधिनियम के सरकारी गजट उत्तराखंड में प्रकाशित होने की तिथि से नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत की जाने वाली गतिविधियों के लिये प्रवृत होंगे।

(ग) **थोक जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता**:-प्रतिदिन 25 कि0ग्रा0 एवं उससे अधिक जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता को थोक जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता कहा जायेगा।

17(ii) -सग्रहण, ढुलाई/निपटान:-

(क) नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत प्रत्येक थोक जैव-चिकित्सा अपशिष्ट उत्सर्जकों का दायित्व होगा कि वह अपने संस्थान/भवन/परिसर के अंदर समस्त जैव-चिकित्सा अपशिष्ट को इस अध्याय के उपनियम 1(ख) में विहित तरीके से भंडारण कर सुरक्षित रखें, संवातित और संरक्षित स्थान की व्यवस्था करें ताकि कोई गौण हथालन न हो, पुनः चक्रण योग्य सामग्री छितराया न जाए या पशुओं द्वारा बिखरायी नहीं जाए तथा

ऐसे संस्थान/भवन/परिसर से जैव चिकित्सा अपशिष्ट को इन नियमों में विहित तरीके से सीधे जैव चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा के लिये या समुचित शोधन और निपटान के लिए (जैसा भी स्थिति हो) भेजा जायेगा।

(ख) ढुलाई एंव निपटान का कार्य अधिकृत एजेंसी द्वारा भी किया जा सकता है परन्तु अधिकृत एजेंसी को नगर निगम रूद्रपुर में रू0 5000 (पाँच हजार रू0) पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए अपना पंजीकरण कराना होगा तथा समुचित व्यवस्था/निस्तारण का डाटाबेस नियमित रूप से तैयार करते हुए प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में नगर निगम रूद्रपुर में उपलब्ध कराना होगा।

(ग) जैव चिकित्सा अपशिष्ट उत्सर्जक द्वारा स्वंय की व्यवस्था पर जैव-चिकित्सा अपशिष्ट वैज्ञानिक तरीके से शोधन एंव निपटान करने पर नियमित रूप से डाटाबेस तैयान करना होगा तथा उसकी सूचना प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में नगर निगम रूद्रपुर को उपलब्ध करानी होगी।

(घ) जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान हेतु अधिकृत एजेंसी द्वारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट निपटान में प्रयोग किये जा रहे वाहनों में जी0पी0एस0 लगाना एंव जी0पी0एस0 ट्रेकिंग की Access Right नगर निगम रूद्रपुर को देना अनिवार्य होगा।

17(iii) - **उत्सर्जक द्वारा स्वंय की व्यवस्था पर जैव चिकित्सा अपशिष्ट की ढुलाई एंव वैज्ञानिक तरीके से निपटान करने के लिये नगर निगम रूद्रपुर में पंजीकरण कराने का शुल्कः-**

क्र0स0	अपशिष्ट उत्सर्जकों का प्रकार	निर्धारित शुल्क रूपये में
01	पैथोलॉजिकल लैब	500.00
02	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 बैड तक)	1000.00
03	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 बैड से अधिक होने पर)	2000.00
04	निजी अस्पताल (20 बैड तक)	2000.00
05	निजी अस्पताल (20 बैड से 50 बैड तक)	4000.00
06	निजी अस्पताल (50 बैड से अधिक होने पर)	6000.00
07	सरकारी अस्पताल (20 बैड तक)	1500.00
08	सरकारी अस्पताल (20 बैड से 50 बैड तक)	3000.00
09	सरकारी अस्पताल (50 बैड से अधिक होने पर)	5000.00

नोट-

(क) पंजीकरण की वैधता अधिकतम 01 वर्ष अथवा 31 मार्च (जो भी पहले हो) तक की होगी।

(ख) पंजीकरण शुल्क में गजट होने की तिथि से प्रतिवर्ष उपरान्त स्वतः ही 10 प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी।

17(iv) -अध्याय-12 में निर्दिष्ट उपनियमों का उल्लंधन करने पर निम्नानुसार जुर्माना आरोपित किया जायेगा।

क्र0स0	अपशिष्ट उत्सर्जकों का प्रकार	प्रथम बार	द्वितीय बार	तृतीय बार दोहराये जाने पर	चतुर्थ बार दोहराये जाने पर
01	पैथोलॉजिकल लैब	1000	2000	3000	नगर निगम रूद्रपुर द्वारा व्यवसाय के नियंत्रण करने हेतु जारी लाईसेंस को निरस्त कर दिया जायेगा अथवा परगना मजिस्ट्रेट रूद्रपुर को
02	नर्सिंग होम/क्लीनिक (अधिकतम 20 बैड तक)	2000	3000	4000	
03	नर्सिंग होम/क्लीनिक (20 बैड से अधिक होने पर)	3000	4000	5000	

04	निजी अस्पताल (अधिकतम 20 बैड तक)	3000	4000	5000	सम्बन्धित के विरूद्ध CRPF की धारा 133 के तहत कार्यवाही करने हेतु संस्तुति पत्र भेज दिया जायेगा अथवा मुख्य चिकित्साधिकारी ऊधम सिंह नगर को सम्बन्धित संस्था का चिकित्सा व्यवसाय पंजीकरण निरस्त करने की संस्तुति कर दी जायेगी। उक्त समस्त कार्यवाही एक साथ भी की जा सकती है।
05	निजी अस्पताल (20 बैड से 50 बैड तक)	5000	7000	10000	
06	निजी अस्पताल (50 बैड से अधिक होने पर)	10000	15000	20000	
07	सरकारी अस्पताल (अधिकतम 20 बैड तक)	2500	3,000	4000	
08	सरकारी अस्पताल (20 बैड से 50 बैड तक)	4000	5000	7000	
09	सरकारी अस्पताल (50 बैड से अधिक होने पर)	7000	10000	15000	
10	नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत अधिकृत एजेंसी	5000	10000	15000	

नोट- उक्त समस्त शुल्क एंव जुर्माने की धनराशि में इस उपनियम के गजट होने की तिथि से प्रत्येक 02 वर्ष उपरान्त स्वतः ही 10 प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी।

अध्याय-13

डेयरी अपशिष्ट

18(i) परिभाषा:-

(क) डेयरी:-डेयरी का तात्पर्य ऐसे स्थल/संस्थान/भवन/बाड़ा से है जहाँ एक या उससे अधिक जानवरों को रखा जाता है/बांधा जाता है। जिसमें समस्त डेयरी फार्म/गौ-सदन/पशुशाला/पशु सरणालय आदि सम्मिलित है।

(ख) डेयरी अपशिष्ट:-पालतू जानवर यथा गाय, भैंस, भैंसा, सांड, बैल, बकरी, भेड़, ऊँट, घोडा, घोडी, सूअर, कुत्ता, गधा, खच्चर आदि का मल-मूत्र तथा पशुओं को चारे के रूप में सुखा एवं हरा चारा का अपशिष्ट, पशुओं को रखने के स्थल की धुलाई आदि में उत्पन्न अपशिष्ट को डेयरी अपशिष्ट कहा जायेगा।

18(ii) डेयरी अपशिष्ट से उत्पन्न होने वाली समस्या:- नगर निगम रूद्रपुर सीमान्तर्गत स्थानीय निवासियों द्वारा पालतू जानवर यथा गाय, भैंस, सांड, भेड़, बकरी, ऊँट, घोड़ी आदि को बांधकर डेयरी संचालित की जा रही है जिस कारण आस-पास के क्षेत्र में हमेशा गन्दगी रहती है और इनके द्वारा सार्वजनिक सड़क को अवरूद्ध भी कर दिया जाता है। डेयरी अपशिष्ट के कारण आस-पास के क्षेत्र में न केवल दुर्गन्ध रहती है अपितु बीमारियों का खतरा भी बना रहता है तथा इन जानवरों के मल, मूत्र, गोबर आदि को नालियों में भी बहा दिया जाता है, जिससे आस-पास के क्षेत्र की नालियां जाम हो जाती है, जो बीमारियों का कारण बनता है।

18(iii) नगर निगम रूद्रपुर का दायित्व:- नगर निगम रूद्रपुर का कर्तव्य है कि नगर निगम रूद्रपुर न केवल अपनी भूमियों को सुरक्षित एंव साफ रखें अपितु ऐसे डेयरी संचालकों/जानवरों को पकड़े जो इस अध्याय के नियम-2 की समस्या को उत्पन्न कर रहे है।

(क) नगर निगम का यह दायित्व होगा कि वह नगर निगम सीमान्तार्गत विचरण कर रहे आवारा/वेसहारा पशुओं को रखने हेतु गौशाला/पशुशाला का निर्माण पशुओं को रहने/खाने की व्यवस्था करेगा तथा नगर से उत्पन्न डेयरी अपशिष्ट के निस्तरण की समुचित व्यवस्था यथा स्थल चयन, मशीनीकरण आदि की व्यवस्था करेगा।

(ख) नगर निगम रूद्रपुर को ऐसे सभी डेयरी संचालकों का चिन्हिकरण कर पंजीकरण करना होगा। जिसमें पंजीकरण शुल्क इस उपनियम के बिन्दु संख्या 18(iv) ग के अनुसार होगा।

(ग) अवैध रूप से अथवा सार्वजनिक स्थलों पर संचालित डेयरी संचालकों को डेयरी हटाने के लिये नोटिस जारी किया जायेगा।

(घ) यदि अवैध रूप से अथवा सार्वजनिक स्थलों पर संचालित डेयरी संचालकों द्वारा अपनी डेयरी/पशुओं को नहीं हटाया जाता है अथवा हटाये जाने के उपरान्त पुनः स्थापित कर लिया जाता है तो संबन्धित संचालक से जुर्माने की धनराशि रू0 1000.00 प्रति पशु प्रतिदिन के हिसाब से वसूल की जायेगी। दण्ड की धनराशि छोटे व बड़े पशु दोनों के लिये एक समान होगी।

(ङ) नगर से उत्पन्न होने वाले डेयरी अपशिष्ट के निस्तारण आवश्यकतानुसार किसी व्यक्ति/संस्था को अनुबंन्धित करने का अधिकार नगर निगम का होगा परन्तु किसी संस्था को डेयरी अपशिष्ट निस्तारण का दायित्व देने हेतु अधिप्राप्ति नियमावली 2017 अथवा उक्त नियमावली में समय-समय पर किये जाने वाले संशोधन आदि परिवर्तन का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

(च) किसी डेयरी संचालक द्वारा अपने पशुओं को आवारा विचरण करने या बेसहारा छोड़ने पर नगर निगम द्वारा पशुओं के जब्तीकरण/गौ-सदन भेजने की कार्यवाही करने का अधिकार होगा। यदि कोई पशु स्वामी जिसके पशु की जब्तीकरण/गौ-सदन भेजने की कार्यवाही कर दी गई है कि पहचान होती है तो नगर निगम उक्त पशु स्वामी से रू0 2000.00 प्रति पशु जुर्माना एवं गौ-सदन भेजने में प्रति पशु आने वाले व्यय अथवा दोनों की वसूली करेगा।

(छ) ऐसे सभी पशुपालक जो कहीं भी पशुपालन का कार्य करते है और अपने पशुओं गाय, भैंस, बकरी, भेड़, सांड, सूअर आदि को नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्र में विचरण के लिये छोड़ देते है तो ऐसे पशुपालकों के विरूद्ध प्रथम बार रू0 2,000.00 प्रति पशु व उसके पश्चात प्रत्येक पुनरावृत्ति पर रू0 3,000.00 प्रति पशु जुर्माना/आर्थिक दण्ड अधिरोपित करते हुए वसूल किया जायेगा अथवा पशुओं को जब्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है।

(ज) नगर निगम/अनुबन्धित संस्था/व्यक्ति द्वारा जब्त किये गये/पकड़े गये आवारा पशुओं का स्वामी पशु को गौ-सदन भेजने से पूर्व अपने जब्त पशु की मांग करता है तो रू0 2,000.00 प्रति पशु अर्थदण्ड जमा कराकर पशुस्वामी को जब्त पशु सौंप देगा।

(झ) नगर निगम द्वारा आरोपित अर्थदण्ड/पशु को गौ-सदन भेजने में आने वाले व्यय की मांग पशु स्वामी से करने पर यदि पशु स्वामी द्वारा उपरोक्त दोनों धनराशि या कोई एक धनराशि जमा नहीं की जाती है तो उक्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भाँति की जायेगी।

(ञ) पशुपालकों द्वारा डेयरी अपशिष्ट को अपने भवन/परिसर से बाहर न डालेगा/न फैकेगा/न बहाया जाये अन्यथा नगर निगम रूद्रपुर के सफाई निरीक्षक अथवा उच्चाधिकारियों द्वारा संबन्धित पशुपालक पर प्रथम बार मु0 1,000.00 (एक हजार रूपये), द्वितीय बार मु0 2,000.00 (दो हजार रूपये), तृतीय बार 3,000.00(तीन हजार रूपये), प्रत्येक बार पुर्नवृत्ति करने पर मु0 5,000.00(पाँच हजार रूपये) का अर्थदण्ड आरोपित करते हुए वसूल किया जायेगा। धनराशि जमा न करने की दशा में पशुओं को जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(ट) नगर निगम का यह दायित्व होगा कि किसी डेयरी संचालक द्वारा किसी सार्वजनिक स्थल/मार्ग आदि में डेयरी अपशिष्ट डाला जाये के दृष्टिगत निरीक्षण आदि हेतु कार्मिको को नियुक्त करेगा।

18(iv) - **पशुपालक/डेयरी संचालकों का दायित्व:-**

(क) डेयरी फार्म/गौशाला/गौ-सदन/आवारा पशु के सरणालय के संचालन/स्वामी द्वारा डेयरी फार्म एंव गौशाला पर्यावरण (प्रबंधन) गाईडलाइन जुलाई 2020 एंव जुलाई 2021 द्वारा प्रख्यापित समस्त दिशा-

निर्देशों का इस उपनियम के सरकारी गजट उत्तराखंड में प्रकाशित होने की तिथि से नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत की जाने वाली गतिविधियों के लिये पालन करना होगा/मान्य होंगे।

(ख) भारत का राजपत्रः असाधरण (भाषा-ii खण्ड 3(i)) के तहत प्रकाशित पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (केस विषयक पशुओं की देखरेख और भरण पोषण) नियम, 2017 दिनाँक 23 मई 2017 तथा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (Petshop) नियम, 2018 तथा उत्तराखंड राज्य गोवंश संरक्षण नियमावली 2011 तथा उत्तराखंड राज्य गोवंश संरक्षण (संशोधन) नियमावली, 2018 दिनाँक 16 अप्रैल 2018 भी इस उपनियम के प्रकाशन के उपरान्त नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत कार्य करने वाले समस्त डेयरी फार्म/गौशाला/गौ-सदन/आवारा पशु सरणालय संचालकों के लिए भी लागू होंगे/पालन करना होगा।

(ग) अवैध रूप से डेरी का संचालन नहीं किया जायेगा। अपनी डेयरी का प्रत्येक वर्ष नगर निगम रूद्रपुर में मु0 500/-(पाँच सौ रूपये) की धनराशि जमा करते हुए पंजीकरण कराना होगा।

(घ) प्रत्येक डेयरी संचालक द्वारा अपने पशुओं का विवरण प्रत्येक छः माह में एक बार नगर निगम को उपलब्ध कराना होगा। यदि छः माह के अन्दर पशुओं की संख्या में एक से अधिक की कमी या वृद्धि की जाती है तो उसकी भी सूचना नगर निगम को डेयरी संचालक द्वारा देनी होगी।

(ड़) डेयरी संचालक द्वारा डेयरी से उत्पन्न डेयरी अपशिष्ट एकत्रित करने/रखने हेतु इस प्रकार से व्यवस्था करेगा कि डेयरी अपशिष्ट से गंदगी न हो और पर्यावरण को क्षति भी नही पहुँचे।

(च) डेयरी संचालक द्वारा डेयरी अपशिष्ट को सार्वजनिक स्थल /मार्ग/रोड-पटरी/नाली/नाला/ नदी/प्राकृतिक जल स्त्रोत आदि में न फेंकेगा/न फैलाएगा/न बहाएगा। उक्त के विपरित कार्य करने पर बिन्दु 18(iii) ञ के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(छ) नगर निगम द्वारा डेयरी अपशिष्ट के निस्तारण हेतु निर्धारित स्थल पर डेयरी अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था स्वंय डेयरी संचालक की होगी। यदि डेयरी संचालक को डेयरी अपशिष्ट का निस्तारण नगर निगम द्वारा या नगर निगम द्वारा अनुबंन्धित संस्था/व्यक्ति द्वारा की जाती है तो अपशिष्ट निस्तारण हेतु निगम द्वारा निर्धारित शुल्क/किराया या निस्तारण में आने वाला व्यय/जैसा निगम उचित समझे डेयरी संचालक द्वारा भुगातान करना होगा।

(ज) किसी भी डेयरी संचालक द्वारा अपने पशुओं को सार्वजनिक स्थल/रोड-पटरी आदि पर न बांधा जायेगा/न रखा जायेगा/संचालक द्वारा अपने परिसर से बाहर पशुओं को आवारा छोड़ना/रखना/बांधना/दूध निकालना अवैद्य माना जायेगा तथा उपनियम के अनुसार दण्डान्तमक कार्यवाही यथा पशुओं की जब्तीकरण या प्रति पशु रू0 2,000.00 अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। उक्त अपराध बार-बार करने पर जुर्माना रू0 3,000.00 प्रत्येक बार/प्रति पशु की दर से चालान वसूल किया जा सकेगा।

(झ) डेयरी संचालक द्वारा अपने पालतू पशुओं को चराने का/चारागाह ले जाने का अधिकार होगा परन्तु तत्समय किसी व्यक्ति (चरबाहा) को पशुओं के साथ रहना अनिवार्य होगा ताकि कोई पशु मार्ग अवरूद्ध न करे/कूड़ा घरों के पास न जाये या ऐसे स्थल पर विचरण न करे जिससे कि स्वंय पशु को एवं जनसामान्य को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना न पड़े या कोई घटना/दुर्घटना घटित न हो।

(ञ) निर्दिष्ट बूचड़खानों और बाजारों को छोडकर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक/कब्जाधारी जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप पोल्ट्री, मछली और पशु सम्बंधी अपशिष्ट उत्सर्जित करते हो, उन्हे ऐसे अपशिष्ट को अलग से बन्द कन्टेनर में स्वास्थयकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार नगर निगम द्वारा निसप्रयोजन के लिए प्रदान किए अपशिष्ट वाहन/स्थल तक पहुँचाना होगा/ऐसे अपशिष्ट को सामुदायिक कूडा घरों में ड़ालना निषेध होगा।

(ट) कुत्ता, बिल्ली, गाय, सांड, घोड़ा, घोड़ी, खच्चर, बकरी, सूअर, आदि पालतू जानवरों के मालिकों/संरक्षकों/ उपचारकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ऐसे जानवरों द्वारा

उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठायेगा/साफ करेगा और इस तरह के उत्सर्जित अपशिष्ट के समुचित निपटान को वरीयता दी जायेगी।

(ठ) घरेलू पालतू जानवर कुत्ता, बिल्ली आदि के मालिकों/संरक्षकों द्वारा अपने पालतू पशु का प्रत्येक वर्ष रू0 500/-(पाँच सौ रूपये) की धनराशि जमा कर नगर निगम में पंजीकरण कराना होगा।

(ड) नगर निगम रूद्रपुर सीमान्तर्गत संचालित समस्त पशु उपचार केन्द्र का यह दायित्व होगा कि वह अपने पास उपचार हेतु पशु लाने वाले पशु स्वामियों का पूर्ण विवरण अपने पास सुरक्षित रखते हुए सूचना माह के प्रथम सप्ताह में निगम को भी उपलब्ध करायेगा।

18(v) **पशुपालक/डेयरी संचालकों द्वारा पंजीकरण फार्म:-**

क्र0स0	विवरण	
01	पशुपालक/डेयरी संचालक का नाम	
02	स्थल का नाम/पता जहाँ डेयरी संचालित हो	
03	पशुओं की संख्या	
04	मोबाइल नं0	
05	प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले डेयरी अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा	
06	पंजीकरण की वैधता अवधि	

18(vi) **जुर्माना/नोटिस फार्म:-** निम्नवत प्रारूप अनुसार जुर्माना/नोटिस लगाया जायेगा।

-::-नोटिस -::-

नगर निगम अधिनियम (1959) के अन्तर्गत धारा/एम0एस0डब्लू रूप-2016/मा0 एन0जी0टी0

वार्ड संख्या......................

बनाम

श्री ....

पुत्र श्री..

निवासी मौ0..

आपको इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि आपने नगर निगम रूद्रपुर की सीमा के अन्दर स्थान/सार्वजनिक मार्ग/पटरी/सार्वजनिक (सड़क, गली, धार्मिक स्थल के आस-पास)/मलवा/गोबर या दुर्गन्धयुक्त पदार्थ/जानवर (गाय, भैंस, भेड़, बकरी) बाके स्थान मौ0...
.........................पर.. सार्वजनिक मार्ग/पटरी/सार्वजनिक (सड़क, गली, धार्मिक स्थल)/मलवा/स्लैव/अस्थायी अतिक्रमण/ गोबर या अन्य दुर्गन्धयुक्त पदार्थ/जानवर (गाय, भैंस, भेड़, बकरी)/डाल रखा है/जानवर बांध रखा है, जिससे जनता को असुविधा होती है और मार्ग/सार्वजनिक स्थानों पर/नाला/नाली में अवरोध पैदा होता है तथा सफाई कार्य में बाधा उत्पन्न होती है। जिस कारण दुर्घटना घटित होने का खतरा बना रहता है/गाय-भैंस के गोबर के कारण आस-पास के क्षेत्रों में न केवल दुर्गन्ध होती है, अपितु बीमारियों का खतरा बना हुआ है। आस-पास के खाली प्लाटों में उक्त सम्बन्धित गतिविधियां (पशु-पालन, डेयरी संचालन या कूडा करकट फैंकना या गोबर इक्कठा करना/प्लाट/मकान स्वामी द्वारा अपने परिसर/प्लाट/मकान की साफ-सफाई न करना/न रखना यह सब समस्याएँ आपके द्वारा अपने स्वार्थ वश जानबूझकर उत्पन्न की गयी है, जो नियम के विरूद्ध है।

नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा 115 व केन्द्र सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 व नगर निगम रूद्रपुर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपविधि 2022 के प्राविधानों के अनुसार उपरोक्त कृत्य स्वर्थवश दशा में एतद्वारा आपको नोटिस देते हुए निर्देशित किया जाता है कि आप तत्काल दिनाँक...................से दिवस ....तक कृत्य को समाप्त करें। अन्यथा आपके विरूद्ध निम्नवत जुर्माना...............अधिरोपित किया जाता है:-

सफाई निरीक्षक/
सहायक नगर आयुक्त/
नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर

अध्याय-14

परिसंकटमय अपशिष्ट

19(i) परिभाषा:- परिसंकटमय अपशिष्ट का वही अर्थ होगा जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनाँक 04 अप्रैल 2016 को भारत सरकार के राजपत्र भाग-पप, खण्ड-3, उपखण्ड(i) में प्रकाशित किया गया है जिसका संक्षिप्त नाम "परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016" है। जो कि नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत समस्त गतिविधियों के लिये भी मान्य होंगे। जिसके नियम 3(17) के अनुसार "परिसंकटमय अपशिष्ट से कोई ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जो अपने भौतिक, रासायनिक, जैविक, प्रतिक्रियात्मक, विषाक्त, ज्वलनशील, विस्फोटक या क्षयकारी जैसे लक्षणों के कारण स्वास्थ्य या पर्यावरण को चाहे अकेले या उनके अपशिष्टों या पदार्थो के संपर्क से खतरा कारित करता है या खतरा कारित करने की सम्भावना है।"

19(ii) लागू होना:- ये उपनियम अधिसूचित होने की दिनाँक से नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत समस्त प्रकार के परिसंकटमय अपशिष्ट के उत्सर्जकों के लिये लागू होंगे।

19(iii) . उत्सर्जकों का दायित्व:-

(क) घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट को कवर्ड अपशिष्ट डब्बों में रखा जायेगा तथा समय-समय पर जारी नगर निगम रूद्रपुर के निर्देशों के अनुसार पृथक्कृत अपशिष्ट को निर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सोपेंगे।

(ख) सैनेटरी उत्पादों से उत्सर्जित अपशिष्ट को तत्सम्बन्धी विनिर्माताओं या ब्राण्ड मालिकों द्वारा प्रदान किए गये पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उस गैर-जैव अपघटीय या सूखे अपशिष्ट के लिए बनाए गए कूड़ेदान में रखा जाना चाहिए।

(ग) ऐसे सभी फैक्ट्री मालिकों/व्यापारियों को/सेनिटरी नेपकिन और डायपर्स विनिर्माता या ब्रांड मालिक या विपणन कम्पनियों को ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी जिससे उसके उत्पादों में सभी रिसाइकलिंग योग्य पदार्थों का इस्तेमाल हो सके तथा सेनेटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रेपर उपलब्ध कराया जाये जिससे नेपकिन या डायपर का निपटान किया जा सके।

(घ) नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत स्थापित समस्त औधोगिक संस्थाओं द्वारा प्रतिदिन इस्तेमाल किये जाने वाले पानी/समस्त रसायन/उर्वरक के फलस्वरूप निकलने वाले परिसंकटमय अपशिष्ट का डाटाबेस तैयार किया जायेगा तथा उसके निपटान की सूचना नगर निगम रूद्रपुर को उपलब्ध करानी होगी।

(ड़) परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट/प्रबंध और सीमापार (संचलन) नियम, 2016 एवं हरित प्राधिकरण के नियत मानक से इतर परिसंकटमय अपशिष्ट अपने परिसर से बाहर नहीं भेजा जायेगा।

19(iv) नगर निगम का दायित्व:-

(क) अपशिष्ट की ढुलाई के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से उत्सर्जित अपशिष्ट का परस्पर मिश्रण नहीं होना चाहिए।

(ख) नगर निगम रूद्रपुर क्षेत्रान्तर्गत स्थापित सभी अस्पताल एंव फैक्ट्री मालिकों से प्रतिदिन प्रयोग किये जाने वाले जल की मात्रा, गीले अपशिष्ट की मात्रा एवं उपचार सिस्टम की सूचना प्राप्त कर डाटाबेस तैयार

करेगा। जिसके लिये प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में समस्त अस्पताल एवं फैक्ट्री मालिकों से डाटाबेस प्राप्त करने हेतु पत्र जारी किया जायेगा। उक्त कार्य में क्षेत्रीय प्रबन्धक सिडकुल रूद्रपुर अथवा उनके कार्यालय के किसी भी अधिकारी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

19(v) अध्याय 14 में उल्लेखित उपनियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना:-

क्र0स0	अपशिष्ट उत्सर्जकों का प्रकार	प्रथम बार	द्वितीय बार	तृतीय बार दोहराये जाने पर	चतुर्थ बार दोहराये जाने पर
01	घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट	200	500	1000	नगर निगम रूद्रपुर द्वारा परगना मजिस्ट्रेट रूद्रपुर को सम्बन्धित के विरूद्ध CRPC की धारा 133 के तहत कार्यवाही करने हेतु संस्तुति पत्र भेज दिया जायेगा।
02	व्यवसायिक परिसंकटमय अपशिष्ट(औधोगिक संस्था को छोड़कर)	500	1000	2000	
03	औधोगिक परिसंकटमय अपशिष्ट	5000	10000	20000	
04	एकीकृत औद्योगिक एस्टेट रूद्रपुर	10000	20000	25000	

नोट:- उक्त दरों में उपनियम के गजट होने की तिथि से प्रत्येक 03 वर्ष उपरान्त स्वतः ही 10 प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी।

अध्याय-15

विविध

20. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या कठिनाई आने की स्थिति में उसे नगर आयुक्त, नगर निगम के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।

21. सरकारी/गैरसरकारी संस्थाओं से समन्वय:- नगर निगम समस्त नगरीय क्षेत्र में स्थापित सरकारी संस्थाओं/निगमों/प्राधिकरणों से समन्वय स्थापित कर यह प्रयास करेगा कि अपने नियंत्रणधीन भौगोलिक क्षेत्र में उपनियम का पूर्ण रूप से अनुपालन हो सके। उपनियम के अनुपालन में किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने पर यदि उचित समझें तो नगर आयुक्त, नगर निगम रूद्रपुर द्वारा उत्तराखण्ड शासन से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे।

22. सक्षम प्राधिकारी ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2016 और उपनियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते है।

अनुसूची- 1

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

1	2	3
क्र.सं.	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट का प्रकार	सेवा शुल्क (यूजर चार्जेज रूपये में)
1	(i)झोपड़ी (ii) कच्चा मकान, टिन छत मकान (प्रतिपरिवार)	रु0 10.00 प्रतिमाह रु0 20.00 प्रतिमाह

2	प्रत्येक पक्का मकान (प्रतिपरिवार)	(प्रत्येक किराएदार पर रू0 50.00 अतिरिक्त)
3	सब्जी एवं फल विक्रेता- (i) ठेली पर फेरी में (ii) फड पर	रु0 5.00 प्रतिदिन रु0 10.00 प्रतिदिन
4	माँस एवं मछली विक्रेता	रु0 50.00 प्रतिदिन
5	रेस्टोरेन्ट (i) छोटा (ii)बड़ा	रु0 300.00 प्रतिमाह रु0 500.00 प्रतिमाह
6	होटल/लॉजिग/गेस्ट हाऊस- (i) 20 बेड तक (ii)21 बेड से 40 बेड तक (iii) 41 से अधिक बेड तक	रु0 300.00 प्रतिमाह रु0 500.00 प्रतिमाह रु0 800.00 प्रतिमाह
7	धर्मशाला	रु0 2.00 प्रति कमरा प्रतिमाह परन्तु 200 रू. प्रति उत्सव प्रथक से
8	बारात घर - (i) चेरिटेबल (ii)नॉन चेरिटेबल	रु0 200 प्रति उत्सव रु0 1000 प्रति उत्सव
9	बेकरी	रु0 200 प्रतिमाह
10	कार्यालय- (i) 50 कर्मचारियों तक (ii) 51 से 100 कर्मचारियों तक (iii) 101 से 300 कर्मचारियों तक (iv) 301 से अधिक कर्मचारियों वाले कार्यालय से	रु0 200.00 प्रतिमाह रु0 400.00 प्रतिमाह रु0 500.00 प्रतिमाह रु0 1000.00 प्रतिमाह
11	(i) सरकारी प्राथमिक विद्यालय (ii) आवासीय सरकारी स्कूल/शिक्षण संस्थाए (iii) वासीय गैर सरकारी/शिक्षण संस्थाएं	निशुल्क 500.00 रु0 प्रतिमाह 1000.00 रु0 प्रतिमाह
12	(i) अनावासीय सरकारी स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (ii) अनावासीय गैर सरकारी/शिक्षण संस्थाएं	500.00 रु0 प्रतिमाह 1000.00 रु0 प्रतिमाह
13	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर) (i) 20 बेड तक (ii) 21 बेड से 40 बेड तक (iii) 41 से 100 बेड तक	 रु0 400.00 प्रतिमाह रु0 1000.00 प्रतिमाह रु0 2000.00 प्रतिमाह
14	क्लीनिक/पैथोलॉजी प्रतिमाह (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर) (i) क्लीनिक (ii) पैथोलॉजी	 रु0 200.00 प्रतिमाह रु0 200.00 प्रतिमाह
15	दुकान- (i) मौहल्ले की छोटी दुकान (ii) बाजार की दुकान (iii) शोरुम (iv) छोटे मॉल (v) बहुमंजिला मॉल	रु0 50.00 प्रतिमाह रु0 100.00 प्रतिमाह रु0 200.00 प्रतिमाह रु0 1000.00 प्रतिमाह रु0 2000.00 प्रतिमाह
16	फैक्ट्री - (i) कुल नियुक्त मानव शक्ति 50 तक (ii) कुल नियुक्त मानव शक्ति 500 से 1000 (iii) कुल नियुक्त मानव शक्ति 1000 से ऊपर	रु0 500.00 प्रतिमाह रु0 1000.00 प्रतिमाह रु0 1000.00 प्रतिमाह

17	वर्कशॉप- (i) छोटा (ii) बड़ा	रु0 400.00 प्रतिमाह रु0 1000.00 प्रतिमाह
18	कबाड़ी- (i) छोटा (ii) बड़ा	रु0 200.00 प्रतिमाह रु0 500.00 प्रतिमाह
19	जूस/गन्ने का रस विक्रेता	रु0 10 .00प्रतिदिन
20	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि आयोजन जिनमे अपशिष्ट उत्पन्न हों	रु0 500 प्रति उत्सव रु0 1000 प्रति विवाह
21	सिनेमा हॉल	रु0 600 प्रतिमाह
22	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य (प्रतिष्ठान की स्थिति के अनुसार)	रु0 200 से रु0 2000 तक प्रतिमाह

इस्तेमालकर्ता शुल्क/जुर्मानि का भुगतान माँग जारी होने से 15 दिन के भीतर जमा न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार पर 10 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से विलम्ब भुगतान/प्रभार लगाया जाएगा तथा उसकी वसूली भू-राजस्व की भाँति करने का अधिकार नगर निगम रूद्रपुर का होगा। जोकि इस उपनियम के अध्याय- 10, 11, 12, 13 एवं 14 पर भी लागू होगा।

अनुसूची-2

जुर्माना/दण्ड

क्र.सं.	नियम/उप नियम संख्या	अपराध	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रूपये में)
1	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(क)	अपशिष्ट को पृथक करने और संग्रह करने तथा पृथक्कृत अपशिष्ट को इन नियमों के अनुसार सौपने में विफल रहना	आवासीय बल्क जनरेटर	रू0 50.00 रू0 500.00
			5000 मीटर से ज्यादा क्षेत्र वाले विवाह/पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल, पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल	रू0 5000.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल मल्टीप्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थान	रू0 3000.00
			5000 मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर-आवासीय स्थान	रू0 500.00
			फिस, मीट विक्रेता द्वारा कूड़े को	रू0 500.00

			पृथक्करण तरीके से न रखना	
2	एसडब्ल्यूएम.नियमों का नियम 4(2)	सड़क/गली में 1. कूडा फैंकना, थूकना 2. नहाना, पेशाब करना, जानवरों को चारा खिलाना, कपडे धोना, वाहन धोना, गोबर नाली में बहाना	उल्लंघनकर्ता	200 से 5000 एवं कार्यवाही उत्तराखण्ड कूडा फेकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत होगी।
3	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ख) और (घ	नियमानुसार सेनिटरी अपशिष्ट का निपटान करने में विफल रहना।	आवासीय	रू0 200.00
		नियम के अनुसार बागवानी और उद्यान अपशिष्ट के निपटान में विफल रहना।	गैर-आवासीय/बल्क जनरेटर	रू0 500.00
4	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(1)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के निपटान में विफल रहना	आवासीय	रू0 1000.00
			गैर-आवासीय/बल्क जनरेटर	रू0 5000.00
5	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)	ठोस अपशिष्ट को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	रू0 500.00 से रू0 25000.00
6	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(4)	निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किए बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा का आयोजन करना	ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	रू0 1000.00
7	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(5)	नियम के अनुसार अपशिष्ट का निपटान करने में विफल रहने वाले गली विक्रेता/वेन्डर कूड़ादान न रखने एवं कूड़े को पृथक्करण न करने, अपशिष्ट भण्डारण डिपो या पात्र या वाहन में डालने में विफल रहने पर	उल्लंघनकर्ता	रू0 200.00
8	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(2)	सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, गलियों आदि में गन्दगी फैलाना/ कुत्ते/अन्य जानवरों द्वारा मल त्याग/उत्सर्जित	उल्लंघनकर्ता	रू0 500.00

		अपशिष्ट के निपटान में विफलता		
निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा-				
9	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(6)	नियमों के अनुसार अपशिष्ट का निपटान में विफलता	निवासी कल्याण एसोसिएशन आर.डब्ल्यू.ए	रू0 10,000.00
10	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(7)	नियमों के अनुसार अपशिष्ट का निपटान में विफलता	द्वारबंद समुदाय	रू0 10,000.00
			संस्थान	रू0 20,0000.00
11	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4(8)	नियमों के अनुसार अपशिष्ट का निपटान में विफलता	होटल	रू0 50,000.00
			रेस्टोरेंट	रू0 20,000.00

विशाल मिश्रा,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 06 हिन्दी गजट/43 –भाग 8–2023 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।